

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी, 2021

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का
आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 व उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली-1994 यथा संशोधित के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-12/ 2021/324/33-3-2021-62/2020 दिनांक 11.02.2021 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों को पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित श्रेणी के लिए आरक्षित घोषित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को आरक्षित करने की सूचना संलग्न रूप पत्र पर समस्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करते हुए सूचना की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश ।
- 8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला पंचायराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/2020, दिनांक 11 फरवरी, 2021 के अनुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत के पदों का आरक्षण व आवंटन

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित श्रेणी
1	शामली	अनुसूचित जाति स्त्री
2	बागपत	अनुसूचित जाति स्त्री
3	लखनऊ	अनुसूचित जाति स्त्री
4	कौशाम्बी	अनुसूचित जाति स्त्री
5	सीतापुर	अनुसूचित जाति स्त्री
6	हरदोई	अनुसूचित जाति स्त्री

1	कानपुर नगर	अनुसूचित जाति
2	औरैया	अनुसूचित जाति
3	चित्रकूट	अनुसूचित जाति
4	महोबा	अनुसूचित जाति
5	झांसी	अनुसूचित जाति
6	जालौन	अनुसूचित जाति
7	बाराबंकी	अनुसूचित जाति
8	लखीमपुर खीरी	अनुसूचित जाति
9	रायबरेली	अनुसूचित जाति
10	मिर्जापुर	अनुसूचित जाति

1	सम्भल	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
2	हापुड़	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
3	एटा	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
4	बरेली	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
5	कुशीनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
6	वाराणसी	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री
7	बदायूँ	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री

1	आजमगढ़	अन्य पिछड़ा वर्ग
2	बलिया	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	इटावा	अन्य पिछड़ा वर्ग
4	फर्रुखाबाद	अन्य पिछड़ा वर्ग
5	बौदा	अन्य पिछड़ा वर्ग
6	ललितपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग
7	अम्बेडकरनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	पीलीभीत	अन्य पिछड़ा वर्ग
9	बस्ती	अन्य पिछड़ा वर्ग
10	संतकबीर नगर	अन्य पिछड़ा वर्ग
11	चन्दौली	अन्य पिछड़ा वर्ग
12	सहारनपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग
13	मुजफ्फरनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित श्रेणी
1	कासगंज	स्त्री
2	फिरोजाबाद	स्त्री
3	मैनपुरी	स्त्री
4	मऊ	स्त्री
5	प्रतापगढ़	स्त्री
6	कन्नौज	स्त्री
7	हमीरपुर	स्त्री
8	बहराइच	स्त्री
9	अमेठी	स्त्री
10	गाजीपुर	स्त्री
11	जौनपुर	स्त्री
12	मोनभद्र	स्त्री

1	अलीगढ़	अनारक्षित
2	हाथरस	अनारक्षित
3	आगरा	अनारक्षित
4	मथुरा	अनारक्षित
5	प्रयागराज	अनारक्षित
6	फतेहपुर	अनारक्षित
7	कानपुर देहात	अनारक्षित
8	गोरखपुर	अनारक्षित
9	देवरिया	अनारक्षित
10	महराजगंज	अनारक्षित
11	गोण्डा	अनारक्षित
12	बलरामपुर	अनारक्षित
13	श्रावस्ती	अनारक्षित
14	अयोध्या	अनारक्षित
15	सुल्तानपुर	अनारक्षित
16	शाहजहाँपुर	अनारक्षित
17	सिद्धार्थनगर	अनारक्षित
18	मुरादाबाद	अनारक्षित
19	बिजनौर	अनारक्षित
20	रामपुर	अनारक्षित
21	अमरोहा	अनारक्षित
22	मेरठ	अनारक्षित
23	बुलन्दशहर	अनारक्षित
24	गाजियाबाद	अनारक्षित
25	गौतमबुद्धनगर	अनारक्षित
26	उन्नाव	अनारक्षित
27	भदोही	अनारक्षित

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

रूप-पत्र

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-13/2021/ 332/33-3-2021-62/2020 दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद को निम्नलिखित श्रेणी के लिए आरक्षित घोषित किया जाता है:-

पद	जिला पंचायत का नाम	श्रेणी
अध्यक्ष		

हस्ताक्षर- जिलाधिकारी

जनपद-

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।